

**उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 241 वीं बैठक  
दिनांक 12 मई, 2017 का कार्यवृत्त**

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 241 वीं बैठक मा० अध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद श्री सदाकान्त, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1-	श्री सदाकान्त	अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2-	श्री धीरज साहू	आवास आयुक्त, आ०वि०प०	सदस्य
3-	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, आ०वि०प०	सचिव
4-	श्री मो० सलीम अहमद	मुख्य अभियंता, आ०वि०प०	सदस्य
5-	श्री ए०के०मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०	सदस्य
6-	श्री सी.एस.बनौधा	उप निदेश, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्व. उद्यम विभाग	सदस्य
7-	श्री आर.एम.त्रिपाठी	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
8-	श्री सुभाष चन्द	उप सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
9-	श्री जे.एस.दुबे	सचिव, उपाध्यक्ष, लख.वि. प्राधिकरण, लखनऊ	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा० अध्यक्ष महोदय एवं मा० सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :-

**विषय सूची**

मद सं०	विषय	निर्णय
241/1	परिषद की 240 वीं बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 240 वीं बैठक दि० 21.12.16 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
241/2	परिषद की 240 वीं बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 240 वीं बैठक दि० 21.12.16 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

**लेखा अनुभाग**

241/3	वित्तीय वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित आय-व्यय की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
-------	--	---

**प्रशासन अनुभाग**

241/4	वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार परिषद के विभिन्न श्रेणी के पेंशनर्स को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर संस्तुति करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
241/5	वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर संस्तुति करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में।	
241/6	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 का परिषद में अंगीकृत किंठे जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

### भूमि अर्जन अनुभाग

241/7	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-33 के अन्तर्गत निर्गत की जाने वाली नोटिस के प्रारूप को अनुमोदित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित कर, इस आशय से परीक्षण कराये कि 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013' में उल्लिखित प्राविधानों से सामंजस्य बना रहें।
241/8	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ के काश्तकारों/ भूस्वामियों को वृन्दावन योजना, लखनऊ की भांति भूखण्ड आवंटित करने हेतु भारतीय किसान यूनियन (अवध) राजू गुप्ता गुट, जनपद-लखनऊ के मांगपत्र के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर आवास आयुक्त एक समिति गठित कर, गुण-दोष के आधार पर उक्त का परीक्षण कराते हुए सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
241/9	राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1, देहरादून में समाविष्ट ग्राम-जाखन के खसरा सं०-269 (पुराना) रकबा 1.26 एकड़ (बन्दोबस्ती के उपरान्त नये खसरा सं०-296क मि० रकबा 0.06 हे०, 297क मि० रकबा 0.05 हे०, 298 मि० रकबा 0.19 हे०, 319क मि० रकबा 0.19 हे० एवं 320 मि० रकबा 0.02 हे०) जिसका मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के अनुपालन में परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन कराये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
241/10	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम देवामऊ के खसरा संख्या-188स कुल रकबा 0.163 हेक्टेयर (1630.00 वर्गमीटर) भूमि में 1/2 भाग 815.00 वर्गमीटर भूमि पर निर्मित निर्माण/बाउण्ड्रीवाल से घिरी भूमि को समायोजित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।


*[Handwritten signatures]*

240/11	<p>श्रीमती ललिता छापड़िया, श्रीमती सरिता छापड़िया श्री राजकुमार खेतान, श्री मोदित भीम सरिया, श्रीमती शकुन्तला भीम सरिया, डा0 सत्यानन्द जी केडिया के पत्रों द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वेंतियाहाता दक्षिणी योजना गोरखपुर के अन्तर्गत भूखण्ड सं0 254, 255 व 257 में क्रय किये गये भूमि क्रमशः 9000 वर्ग फिट, 5781 वर्ग फिट व 6542 वर्ग फिट, 3141 वर्ग फिट, 3142 वर्ग फिट एवं 3096 वर्ग फिट कुल 30702 वर्ग फिट भूमि का ना0 सर्वोच्च न्यायालय में अपील को वापस करवाकर दिनांक 07 अप्रैल, 2003 को जारी शासनादेश संख्या-1049/2003 को अनुपालित कराने एवं प्रार्थीगणों तथा भूस्वामी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में।</p>	<p>ना0 परिषद द्वारा प्रस्ताव संज्ञान में लिया गया।</p>
--------	--	--

### अभियंत्रण अनुभाग

241/12	<p>वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ के सेक्टर-13 में 480 नग अल्प आय वर्ग (जी+3) प्रकार के भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यान्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।</p>	<p>सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
241/13	<p>अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-2बी में प्रस्तावित आईकॉनिक बिल्डिंग (बहुमंजिली कार्यालय भवन) के निर्माण के संबंध में।</p>	<p>सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद की वित्तीय स्थिति, निर्मित होने वाले भवनों की विकयशीलता के हास की संभावना एवं वर्तमान परिस्थितियों में उक्त निर्माण की आवश्यकता न पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव निरस्त किया गया।</p>
241/14	<p>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।</p>	<p>परिषद में नवीन कार्य-संस्कृति, वित्तीय अनुशासन, उत्तरदायी प्रबंधन की कार्य योजना बनाकर उस पर दृढ़ता के साथ कार्यान्वयन कराया जाय। एफोर्डेबल हाऊसिंग के निर्माण का प्रस्ताव ग्राहकों की क्रय-क्षमता के अनुरूप बनाया जाय। प्रोजेक्ट समय से पूर्ण किये जाय तथा ग्राहक-संवेदना पर निरंतर सजगता रहें। साथ ही यह भी सुविचारित प्रयास किया जाय कि प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता बनी रहें।</p>

अनुमोदित

  
(सदाकान्त)

अध्यक्ष